प्राक्कथन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-ए (31 मार्च 2011 को संशोधित) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शिक्त और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा करने और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को ऐसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार देते हैं, के अन्तर्गत राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्रतिवेदन में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित टिप्पणियां भी सिम्मिलत की गई हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त वे हैं, जो 2020-21 की अविध की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। वर्ष 2020-21 के बाद की अविध से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सिम्मिलत किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2017) के अनुरूप आयोजित की गई है।